डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

बईजलास श्री देवी सिंह (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री अति विमला पि- कालू कुम्हार निवासी सुरास ल0मांडल — वादिया

वादी

बनाम

1 श्री देवी पि0 कालू कुम्हार निवासी सुरास ल0 मांडल

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मांडल ल0 मांडल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53 R.T.Act मुकदमा न0 / वर्ष 123/2016 निर्णय दिनांक 1/7/2016

यह मुकदमा अज अदालत वादी इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व A.K. शर्मा मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक प्रतिवादी राज्य के. अधिकारी द्वारा दिये जाने से कोई अनुतोष देय नहीं है

आज तारीख ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
माण्डल ,जिला – भीलवाड़ा